सत्यदेव पचौरी
मंत्री
खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, वस्त्रोद्योग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग

मंत्री
उत्तर प्रदेश

(का0) : 0522-2213308, 2238067
(आ0) 0522-2235033
81 बी 82, मुख्य भवन,
विधान भवन, लखनऊ
9, कालीदास मार्ग, लखनऊ
मो : 9455073842
E-mail : sdpachauri1@gmail.com

दिनांक 21/03/2018

संदेश

मैं यह मानता हूँ कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था औद्योगिक अर्थव्यवस्था से अधिक भिन्न नही है। राष्ट्र तभी प्रगति कर सकता है जब प्रत्येक गॉव आत्मनिर्भर और स्वतन्त्र बनेगें। खादी लाखों ग्रामीण कारीगरों की आजीविका का श्रोत रही है जिसमें प्रदेश भर में फैले कत्तिन एवं बुनकर और अन्य कारीगर भी आते हैं। खादी एवं ग्रामोद्योगों से सम्बन्धित कार्यक्रमों/योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम भारत सरकार के माध्यम से संचालित है। प्रत्येक वर्ष उक्त योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त हो रहा है।

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों तत्सम्बन्धी क्रिया–कलापों के सफल कियान्वयन, खादी एवं ग्रामोद्योगी उत्पादों एवं योजनाओं को जन–सामान्य तक पहुँचाने तथा उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने, पूंजी निवेश को आकर्षित करने, कम से कम पूंजी निवेश से अत्यधिक रोजगार सृजित करने, उत्पादन एवं मजदूरी में वृद्धि करने, कामगारों के सामाजिक कल्याण एवं समुत्थान करने, कृषि आधारित उद्योगों हेतु वैल्यू–चेन–मैकेनिज्म को प्रोत्साहित करने तथा ग्रामीण औद्योगीकरण को सुप्रभावी बनाने की दिशा में बेहतर कार्य करने हेतु खादी एवं ग्रामोद्योग के विकास हेतु कोई एकीकृत नीति नही थी।

प्रदेश सरकार ने विभाग की नीति बनाने का निर्देश दिया था जिसे विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विशेष प्रयास से खादी और ग्रामोद्योग विकास एवं सतत् स्वरोजगार प्रोत्साहन नीति–2017 दिनांक 09 मार्च, 2018 को लागू की गयी। मैं उन सभी को इस कार्य के लिए धन्यवाद देता हूँ एवं आशा करता हूँ कि इससे खादी एवं ग्रामोद्योग के विकास में गुणात्मक वृद्धि होगी एवं यह नीति जनसामान्य के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

धन्यवाद।

(सत्यदेव पचौरी)
मंत्री,
खादी एवं ग्रामोद्योग,
उत्तर प्रदेश